रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224966 CG-DL-E-05022021-224966

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942

No. 621

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

सा.का.िन. 100(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in, के पास भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

761 GI/2021 (1)

# प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
  - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 125-आई के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"125जे. ए6 और ए7 श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन कृषि ट्रैक्टरों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं -

आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख को और उसके बाद निर्मित ए6 और ए7 श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन कृषि ट्रैक्टर समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस 168: 2021 की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो के संगत विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 के 11) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है।"

[सं. आरटी-11036/11/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.िन.....(अ), दिनांक ........... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2021

**G.S.R.** 100(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: <a href="mailto:comments-morth@gov.in">comments-morth@gov.in</a>;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

#### **Draft Rules**

- **1. Short Title and commencement.-**(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (......Amendment) Rules, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 125-I, the following rule shall be inserted, namely:—"125 J. Specific Requirements for A6 and A7 Category Electric Power Train Agricultural Tractors. - Electric Power Train Agricultural Tractors of category A6 and A7, manufactured on and after the date of final publication of this Notification in the Official Gazette shall conform to the requirements of AIS 168:2021, as amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian

Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016)"

[No. RT-11036/11/2021-MVL] AMIT VARADAN, Jt. Secy.

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. \_\_\_\_(E) dated \_\_\_\_\_.